should not be permitted to be used for vicious propaganda against..... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have not allowed anybody.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: They are saying without my permission. I am not allowing anybody.

Now, Shri Vyas.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER: Not allowed. I have not allowed anybody. Nothing should go on record without my permission.

I have asked Mr. Vyas to continue.

(*Interruptions*)**

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): The statement made by the Prime Minister should be discussed.

MR. SPEAKER: We have already decided to have a discussion on External Affairs.

(*Interruptions*)*

MR. SPEAKER: Not allowed. We are going to discuss it. Nothing is to be recorded. Only Shri Girdhari Lal Vyas holds the floor.

(*Interruptions*)*

15.21 hrs.

EYES (AUTHORITY FOR USE FOR THERAPEUTIC PURPOSES) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: Shri Girdhari Lal Vyas to continue his speech.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा था और यह निवेदन कर रहा था कि यह बिल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस देश में जितने अन्धे हैं उतने शायद दुनियां के किसी मुल्क में नहीं हैं । उन अन्धों को आंख देने का जो यह काम हमारी सरकार ने किया है वह बहुत प्रशंसनीय कार्य है । यह सरकार एक ऐसा बिल लायी है जिस के जरिए से हम जितने अन्धे लोग हैं उन को आंख दिला सकते हैं । . . (**व्यवधान**) . . .

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी को यह सुझाव है कि यह जो कानून आप यहां के लिए लाए हैं ऐसा कानून सारे देश में लागू होना चाहिए । इस की आवश्यकता इस वजह से है कि हमारे राजस्थान में अभी आप ने सुना होगा, कुछ दिन पहले कुछ ऐसे अनाड़ी लोगों ने इस प्रकार के कैम्प लगा दिए जिस से आंख वाले लोगों को भी अन्धा कर दिया । ऐसे गलत आपरेशन कर दिए जिस से सैकड़ों आदमी अन्धे हो गए । ऐसे लोगों के लिए कोई कानून तो आप ने बनाया नहीं जिस के जरिये उन को पकड़ा जा सके । उन को अब तक पकड़ा नहीं और उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । उन के लिए जो जेल में जगह होनी चाहिए थी उस के बजाय आज भी वह खुले फिर रहे हैं और आपरेशन कर रहे हैं । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो ऐसे गलत लोग हैं जो जानते नहीं, जिन्होंने कोई विद्या पढ़ी नहीं, कोई डाक्टरी पास नहीं की और आपरेशन कर दिया उन के लिए ऐसी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए जिस से उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके ।

इस में आप ने ऐसा प्रावधान किया है कि किसी इंस्टीच्यूशन से सर्टिफिकेट ले कर ही वह आंख निकाल सकेंगे । तो आखों का आपरेशन करने वाले लोग

*Not recorded.

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

भी ऐसे ही होने चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हों गवर्नमेंट के द्वारा या जो एजुकेटेड हों, ट्रेन्ड हों, वही लोग जा कर आंख का आपरेशन कर सकते हैं ।

जितने अन्धे इस देश के अन्दर हैं जिन की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, जिन को नेत्र देना चाहते हैं उन की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके उस के लिए इस प्रकार का प्रावधान बहुत आवश्यक है । आप ने देखा कि चार चार पांच पांच जगह हमारे राजस्थान में इस प्रकार के कैम्प लगे और आप के सरकारी अस्पतालों में कैम्प लगे, उस को आप नहीं रोक पाए । ऐसे अनाड़ी आदमियों ने सैकड़ों आदमियों को अन्धा कर दिया और इस प्रकार के लोग आज भी खुले फिर रहे हैं । एक सवाल हम ने कल यहां पर पूछा था कि नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? आज जो लोग गलत दवाई दे कर लोगों की जान ले लेते हैं उन को मृत्यु दण्ड मिलना चाहिए । इसी प्रकार जो आदमी आंख फोड़ डाले उस को क्या सजा मिलनी चाहिए ? ऐसे लोगों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिस में वह लोग फिर कभी इस प्रकार का काम न कर सकें । इस प्रकार की व्यवस्था की आज नितांत आवश्यकता है । इस के लिए आप को कोई न कोई कानून अवश्य लाना चाहिए ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : और जो अक्ल के अन्धे हैं उन के लिए क्या करना चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उन के लिए आप स्कूल खोलिए और उन को पढ़ाइए ।

सभापति महोदय : डागा जी का कोई बन्दोबस्त करवा रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : डागा जी तो स्कूल खोल रहे हैं ऐसे अक्ल के अन्धों के लिए ।

दूसरी बात यह है कि आप जो आंख निकालेंगे उस को निकाल कर बैंक में रखेंगे, तो वह आंख किस को देंगे ? कैसे आदमियों को यह आंख लगायी जायगी इस का इस में कोई प्रावधान नहीं है । ऐसी कोई व्यवस्था इस में नहीं है जिस से पता लगे कि यह आंख किन को लगायी जायगी । ये जितनी भी प्रक्रियायें हैं और आप का जो मेडिकल इंस्टीच्यूट है उस में तो बड़े-बड़े लोगों का ही इलाज होता है । गरीबों को तो उस में ऐडमीशन ही नहीं मिलता । अगर इन इंस्टीच्यूशंस में इन आंखों का बैंक होगा तो निश्चित रूप से बड़े लोग ही उस का लाभ उठाएंगे और जिन गरीब लोगों के अंदर अन्धापन है कुपोषण की वजह से उन को तो कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा । इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आंखें उन्हीं लोगों को मिलें जोकि निर्धन हैं, जोकि उसके लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं । ऐसे निर्धन लोगों के अंधेपन को निवारण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह से बसर कर सकें ।

यहां पर राजधानी में साढ़े चार हजार लड़के ऐसे हैं जोकि अंधे हैं । जो बच्चे बचपन से ही अंधे हैं उनको आंखें प्रदान की जा सकती हैं । प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लड़कों को आंखे प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुविधापूर्वक बसर कर सकें । सबसे पहले छोटे-छोटे बच्चों तथा स्टूडेन्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि आंखें निकालने का अधिकार किसको होना चाहिए। किसी भी हालत में यह अधिकार ऐसे व्यापारियों को नहीं मिलना चाहिए जोकि आंखें बेचने में लग जायें। आज भी कुछ लोग पांच हजार रुपये में एक आपरेशन करने का धंधा कर रहे हैं। यदि उनको आप यह हक दे देंगे तो गरीब ल..: जिनको आंखों की सबसे अधिक आवश्यकता है वे इस लाभ से वंचित रह जायेंगे। मेरा सुझाव है सरकारी अस्पतालों में आंखों के बैंक की स्थापना होनी चाहिए। कुछ ऐसी संस्थाओं को भी आप यह कार्य दे सकते हैं जिन पर कि आपको विश्वास हो और जोकि लोक कल्याण के लिए काम कर रही हों। वहां पर भी ऐसे बैंक स्थापित करके गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

15.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस बिल के उद्देश्यों में आपने शब्द "व्यवसायी" भी लिख रखा है। लेकिन "व्यवसायी" से मतलब तो धंधा करने वाले से होता है। अगर इस कार्य में व्यवसायी भी शामिल हो जायेंगे तो हमारा जो मकसद है, जिन लोगों को हम नेत्र देना चाहते हैं, जिनको दृष्टि देना चाहते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें से शब्द "व्यवसायी" को निकाल कर शब्द "संस्था" रखा जाना चाहिए। ऐसी संस्था चाहे कोई हास्पिटल हो या कोई धर्मार्थ संस्था हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, you have concluded your speech now.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: No, Sir

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then please conclude now.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: I have many more points. I will continue later.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. You can continue next time.

Now we take up the Private Members' Business.

Now, Bills for introduction, Mr. Banatwalla

15.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of article* 75)

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI G. M. BANATWALLA: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Substitution of new articles for article* 338, *etc.*)

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

---

*Published in Gazette of India Extra-ordinary Part II, Section 2 dated 9-7-82.